अपील सूचना अधिकार संख्या 67/2021 (GCMS 2021/106)(आईटीआई पोर्टल नं. 212489742554153) (आई पी नं. 52एफ/509325) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.03.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए और कथन किया था कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 17.06.2021 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने कोषाधिकारी पर 25000/– शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2021 के द्वारा कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः

> कोषाधिकारी, श्री नरेश अग्रवाल व अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने कोषाधिकारी के पत्रांक 442 दिनांक 3.12.2019 के बिन्दु संख्या 6 में यह अंकित किया है कि "अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदचय के समक्ष लगभग 500 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जा चुके है तथा समस्त अपीले माननीय आयोग द्वारा खारिज की गई हैः
>
> 1. प्रार्थी के द्वारा 500 से अधिक आवेदन जो प्रस्तुत किये गये है उनकी सूचना व 500 से अधिक आवेदनों की प्रतियां मांगी है।
> 2. माननीय आयोग द्वारा जो अपीलें जो खारिज की गई है, उनके अपीलार्थी का नाम, अपील संख्या व दिनांक की सूचना व निर्णय की प्रति जो खारिज की गई है, मांगी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 298–990 दिनांक 07.07.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> कोषाधिकारी का पत्रांक 442 दिनांक 03.12.2019 के बिन्दु संख्या 6 में वर्णित प्रार्थी के लगभग 500 आवेदन 500 अपीलों को माननीय सूचना आयोग द्वारा खारिज किये गये निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियों का अवलोकन करना है।
>
> उक्त सूचना के संबंध में अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती हैं राजस्थान सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजितज करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धार 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच में अर्थात दूसरें शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो।
>
> -sd-
> जिला कोषाधिकारी
> श्रीगंगानगर

चूंकि जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपीलार्थी को दिनांक 07.07.2021 को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है, जो सही है। **और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धार 2एफ** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच में अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होना चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही** है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा समयावधि में उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य हैं।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible]22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:22 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर